(b) if so, the steps taken or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMALNATH): (a) and (b) The Government has been making all efforts to tap the full potential of the textile industry in the country and to improve the quality standards of textiles, so that the twin objectives of making good quality cloth available in adequate quantity and at affordable prices to our people, particularly the poorer sections, and simultaneously to aggressively push our exports so as to increase our share of the global trade in textiles, can be achieved. Towards this end the Government keeps a close watch on the developments in the textile industry and as & when there is any developemnt in any segment of the textile industry requiring attention, appropriate measures are taken through policy interventions.

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण

179. **श्रीमती सुषमा स्वराजः**
श्री राम जेठमलानीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने के प्रयोजन से प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, ग्रामीण कुटीर उद्योग और निर्यात को शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो देश में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वित्तीय वर्षों के दौरान कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और निर्यात क्षेत्र को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा बैंक ऋण का कितना-कितना प्रतिशत दिया गया है;

(घ) क्या यह प्रतिशतता भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबी प्रसाद पाल): (क) और (ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देना अपेक्षित है। प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किए गए क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:—

(i) कृषि
(ii) लघु-उद्योग
(iii) लघु, सड़क और जल परिवहन परिचालक
(iv) खुदरा व्यापार
(v) छोटे कारोबार
(vi) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति
(vii) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के प्रयोजित संगठन
(viii) शिक्षा
(ix) आवास
(x) उपभोक्ता ऋण

निर्यात ऋण भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की एनबीसी की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों की प्रतिशतता मार्च, 1993, 1994 और 1995 के अंत तक क्रमशः 38.36 प्रतिशत, 38.82 प्रतिशत और 37.37 प्रतिशत है जबकि लक्ष्य 40% है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रथमिकता क्षेत्र को ऋण देने की प्रतिशतता में गिरावट आने के ये कारण हो सकते हैं: 1988 से बैंकों की लाभप्रदता पर अधिक जोर दिया गया है, आय की पहचान, प्रावधान करने और पूंजी पर्याप्तता के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए विवेकसम्मत मानदंड तथा अधिक अंतरण और प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में अंतर्ग्रस्त जोखिम लागत। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वे पूरा प्रयास करें।

Recommendations of Sodhani Committee

180. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India (RBI) appointed a commitee headed by Mr. O.P. Sodhani to recommend reforms in the foreign exchange market, if so,